प्ररूप–घ

{मध्य प्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक)}

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.)

{समक्ष – सुश्री श्वेता गोयल}

(दिनाँक 14 मार्च 2026)

Registration No. SC/18/2022
Filing No. SC/2029/2022
CNR No.MP0405-002310-2022
Filing Date-24-09-2022

आरक्षी केन्द्र गुनगा, जिला भोपाल के अपराध कमांक–19/2022 अपराध अंतर्गत धारा–354, 354क भारतीय दंड संहिता, 1860 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–7 सहपठित धारा 8 से उद्भूत विशेष सत्र प्रकरण।

परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र गुनगा, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मिथिलेश कुमार चौबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	**सत्यनारायण मेहर** पिता श्री वंशीलाल, आयु लगभग

	46 वर्ष, निवासी–ग्राम रोड़िया, थाना गुनगा जिला भोपाल (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री ब्रजेश ठाकुर अधिवक्ता।

प्ररूप–ड

अपराध की तारीख	19.01.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	20.01.2022
आरोप–पत्र की तारीख	24.09.2022
आरोपों की विरचना की तारीख	14.10.2022
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तारीख	05.11.2022
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	14.03.2026
निर्णय की तारीख	14.03.2026
दंडादेश, यदि हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा–428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	सत्यनारा	26.08.	24.09.	भारतीय दंड	निरंक	निरंक	29 दिवस

	यण मेहर	2022	2022	संहिता, 1860 की धारा 354, 354क एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–7/8			

प्ररूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–01	शिक्षक श्यामलाल चौरसिया	अन्य साक्षी
अ.सा.–02	अभियोक्त्री के पिता	अन्य साक्षी
अ.सा.–03	अभियोक्त्री	पीड़ित/चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.–04	अभियोक्त्री की मां	अन्य साक्षी

अ.सा.–05	उपनिरीक्षक गणेश रॉव	पुलिस साक्षी
अ.सा.–06	उपनिरीक्षक कृष्णा ठाकुर	पुलिस साक्षी
अ.सा.–07	अभियोक्त्री का भाई	अन्य साक्षी
अ.सा.–08	निरीक्षक आकांक्षा शर्मा	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी–01सी / अ.सा.–01	मूल स्कॉलर रजिस्टर की सत्यापित प्रति
02	प्रदर्श पी–01बी / अ.सा.–01	मूल स्कॉलर रजिस्टर की सत्यापित प्रति
03	प्रदर्श पी–02 / अ.सा.–03	प्रथम सूचना रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी–03 / अ.सा.–03	घटनास्थल का नक्शामौका
05	प्रदर्श पी–04 / अ.सा.–03	अभियोक्त्री के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत न्यायालयीन कथन
06	प्रदर्श पी–05 / अ.सा.–03	अभियोक्त्री के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत कथन
07	प्रदर्श पी–06 / अ.सा.–04	अभियोक्त्री की मां के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत कथन
08	प्रदर्श पी–07 / अ.सा.–06	आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक
09	प्रदर्श पी–08 / अ.सा.–06	गिरफ्तारी की सूचना
10	प्रदर्श पी–09 / अ.सा.–06	रवानगी रोजनामचा सान्हा क्रमांक 3 दिनांक 26.08.2022
11	प्रदर्श पी–10 / अ.सा.–06	वापसी रोजनामचा सान्हा क्रमांक 8 दिनांक 26.08.2022
12	प्रदर्श पी–11 / अ.सा.–06	धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
13	प्रदर्श पी–12 / अ.सा.–07	अभियोक्त्री के भाई के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत कथन

ख. प्रतिरक्षा

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श डी–01 / अ.सा.–02	अभियोक्त्री के पिता के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत कथन

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

–:: निर्णय ::–

(आज दिनाँक–14/03/2026 को घोषित)

1. आरोपी पर दिनांक 19.01.2022 को रात्रि करीब 08:00 बजे से 08:30 बजे अभियोक्त्री के गांव आरक्षी केन्द्र गुनगा मांगीलाल साहू की दुकान के पास आरक्षी केन्द्र बैरसिया जिला भोपाल में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से अभियोक्त्री को छूकर, छाती एवं कमर पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग कारित करने, अभियोक्त्री के शारीरिक संपर्क एवं अग्रक्रियाएं कर, जिसमें आवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतवर्लित है, लैंगिक उत्पीड़न कारित करने, 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री के साथ लैंगिक आशय से प्रवेशन के बिना अभियोक्त्री को छूकर एवं उसकी छाती एवं कमर पकड़कर लैंगिक हमला कारित करने, अभियोक्त्री के भाई की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने के कारण दिनांक 14.10.2022 एवं 26.02.2026 को निम्नानुसार आरोप विरचित किये गए :–

आरोपी का नाम	अधिनियम	धारा
सत्यनारायण मेहर	भारतीय दण्ड संहिता, 2023 (अत्र पश्चात् 'अधिनियम, 1860' संबोधित)	धारा–354, 354क, 323
	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (अत्र पश्चात् 'अधिनियम, 2012' संबोधित)	धारा–7 सहपठित धारा 8

2. प्रकरण में निर्विवादित तथ्य कुछ नहीं है।

3. संहिता, 1860 की धारा 228–ए एवं अधिनियम, 2012 की धारा–33(7) के प्रावधान के पालन में, (अ.सा.–02) को अभियोक्त्री के पिता, (अ.सा.–03) को अभियोक्त्री को पीड़िता/अभियोक्त्री, (अ.सा.–04) को अभियोक्त्री की मां एवं (अ.सा.–07) को अभियोक्त्री के भाई से एवं विद्यालय को संबंधित विद्यालय से संबोधित किया गया है। अभियोक्त्री के गांव का नाम नहीं लिखा गया है।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि अभियोक्त्री आयु लगभग 15 वर्ष कक्षा 10 वीं में सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। दिनांक 19.01.2022 को रात करीब 08:00 से 08:30 बजे के दौरान वह सामान लेने मांगीलाल साहू की दुकान पर गई थी। लौटते समय दुकान से थोड़ी दूर आरोपी सत्यनारायण मिला और अभियोक्त्री को बुरी नियत से छूने लगा, उसकी छाती एवं कमर को पकड़ा, अभियोक्त्री ने रोकर दौड़ लगा दी और घर जाकर माता–पिता को बताया एवं अभियोक्त्री के भाई को थप्पड़ मारा। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर से

आरक्षी केन्द्र गुनगा के अपराध कमांक 19/2022 धारा 354, 354क संहिता, 1860 एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 अधिनियम, 2012 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट उपनिरीक्षक आकांक्षा शर्मा (अ.सा.–08) द्वारा लेख की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया।

5. विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अत्र पश्चात् संहिता, 1973 से संबोधित) के तहत कथन लेख किए एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण में अग्रिम विवेचना करते हुए उपनिरीक्षक गणेश रॉव (अ.सा.–05) द्वारा दिनांक 19.01.2022 को अभियोक्त्री के माता–पिता, भाई के कथन धारा 161 संहिता, 1973 के तहत लेख किए एवं अभियोक्त्री की निशादेही पर दिनांक 21.01.2022 को घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–03 तैयार किया। अभियोक्त्री की जन्मतिथि के संबंध में स्कॉलर रजिस्टर प्रदर्श पी–01सी प्राप्त किया गया एवं अभियोक्त्री के धारा 164 संहिता, 1973 के कथन कराए जाने हेतु अभियोक्त्री को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बैरसिया जिला भोपाल के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोक्त्री के कथन प्रदर्श पी–04 प्रस्तुत किए।

6. विवेचना उपरान्त आरक्षी केन्द्र गुनगा के अभियोग पत्र कमांक 165/2022 दिनांक 28.08.2022 को कता किया जाकर दिनांक 24.09.2022 को श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे अपर सत्र न्यायाधीश, बैरसिया जिला भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत किया, उनके द्वारा उक्त दिनांक को ही प्रकरण में संज्ञान लिया जाकर पंजीयन पर आदेश हेतु सत्र न्यायालय भोपाल की ओर प्रेषित किया। दिनांक 12.10.2022 को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रकरण श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे, अपर सत्र न्यायाधीश, बैरसिया के न्यायालय में निराकरण हेतु अंतरित

किया। श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे अपर सत्र न्यायाधीश बैरसिया द्वारा दिनांक 14.10.2022 को आरोपी के विरूद्ध निर्णय के पद क0 01 में वर्णित आरोप विरचित किये एवं उनका अभिवाक् अंकित किया गया। प्रकरण दिनांक 05.11.2022 को अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया गया। प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 08.04.2023 तक अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित रहा। तदुपरान्त माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश क्रमांक 8646/2023 भोपाल दिनांक 10.06.2023 के आदेश अनुसार श्री आशीर्वाद भिलाला, अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, बैरसिया के न्यायालय में दिनांक 24.06.2023 को अंतरण पर प्राप्त हुआ। उनके समक्ष यह प्रकरण दिनांक 15.03.2024 तक अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर लंबित रहा, तदुपरान्त माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश क्रमांक–31/सा0अनु0/2024 (एक–5–2/22) भोपाल आदेश दिनांक 03.04.2024 के पालन में प्रकरण दिनांक 10.04.2024 को श्री पवन कुमार बांदिल अपर सत्र न्यायाधीश, बैरसिया के न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर अंतरण पर प्राप्त हुआ। उनके समक्ष प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 13.08.2025 तक नियत रहा। तदुपरान्त माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश क्रमांक–138/सा0अनु0/2025 (एक–5–2/22), भोपाल दिनांक 04 नवंबर 2025 के पालन में इस न्यायालय में प्रकरण दिनांक 17.11.2025 को अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर प्राप्त हुआ, जो दिनांक 11.03.2026 तक अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर लंबित रहा।

7. दिनांक–14.03.2026 को आरोपी के धारा–313(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत आरोपी के कथन लेख किए गए, जिसमें आरोपी का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा साक्ष्य

नहीं दिया जाना व्यक्त किया। दिनांक–14.03.2026 को उभयपक्ष के अंतिम तर्क श्रवण किये गये।

8. मामले के निराकरण हेतु प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं:–

01.	क्या, घटना दिनांक 19.01.2022 को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम थी ?
02.	क्या, आरोपी ने दिनांक 19.01.2022 को रात करीब 08:00 बजे से 08:30 बजे के दौरान अभियोक्त्री के गांव आरक्षी केन्द्र गुनगा मांगीलाल साहू की दुकान के आगे अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसे छूकर एवं उसकी छाती एवं कमर को पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
03.	क्या, आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संपर्क एवं अग्रक्रियाएं कर, जिसमें आवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतवर्लित है, उसे छूकर एवं उसकी छाती एवं कमर पकड़कर लैंगिक उत्पीड़न कारित किया ?
04.	क्या आरोपी ने लैंगिक आशय से प्रवेशन किए बिना अभियोक्त्री को छूकर एवं उसकी छाती एवं कमर पकड़कर शारीरिक संपर्क कर लैंगिक हमला कारित किया ?
05.	क्या आरोपी ने अभियोक्त्री के भाई की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

–: : निष्कर्ष के आधार : :–

9. आरोपी पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अभियोग है। उक्त अधिनियम, 2012 के तहत आवश्यक है कि पीड़ित/ अभियोक्त्री बालक हो। अधिनियम, 2012 की धारा 2 (घ) में बालक को परिभाषित किया गया है जिसमें उपबंधित है कि–'**बालक'** से ऐसा व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, अभिप्रेत है। अतः सर्वप्रथम अभियोक्त्री की आयु का विनिश्चिय किया जाना आवश्यक है।

विचारणीय प्रश्न कमांक–01 का निराकरणः–

10. जहॉ तक अभियोक्त्री की आयु का संबंध है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टांत **Jarnail Singh V. State Of Haryana (2013) 7 SCC 263** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया है –

> 23. Even though Rule 12 is strictly applicable only to determine the age of a child in conflict with law, we are of the view that the aforesaid statutory provision should be the basis for determining age, even of a child who is a victim of crime. For, in our view, there is hardly any difference insofar as the issue of minority is concerned, between a child in conflict with law, and a child who is a victim of crime. Therefore, in our considered opinion, it would be just and appropriate to apply Rule 12 of

the 2007 Rules, to determine the age of the prosecutrix VW, PW 6.

11. इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जो नियम विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की आयु के निर्धारण में लागू होते हैं, वही नियम अभियोक्त्री के संबंध में लागू होंगे। यद्यपि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (जो कि 15.01.2016 को लागू हुआ है) की धारा–94 में बोर्ड या समिति का उल्लेख है, न्यायालय का उल्लेख नहीं है, किन्तु उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री की आयु को निर्धारित करने के लिये सिद्धांत व्यक्त किया है, उसमें यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री और विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की आयु के संबंध में एक समान नियम हो। **घटना दिनांक 19.01.2022 की अभिकथित की गई है।** इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत के अनुसार प्रकरण में धारा–94 अभियोक्त्री की आयु के निर्धारण के लिये प्रयोज्य होगी। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा–94 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अभिनिर्धारित की है। उक्त **धारा–94(2)** में यह प्रावधान है कि–

> यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्ति–युक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं तो यथास्थिति समिति या बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण का जिम्मा लेगा–
>
> (i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित, परीक्षा बोर्ड से मेटिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण

> पत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में,
>
> (ii) निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र,
>
> (iii) उपरोक्त (i) या (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जॉच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जॉच के आधार पर किया जाएगा।

12. लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा–34 की उपधारा–2 में यह प्रावधान है कि–

> यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् किया जायेगा और वह ऐसे अवधारण के लिये उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा।

13. संबंधित विघालय के शिक्षक श्यामलाल चौरसिया (अ.सा.–01) ने संबंधित विद्यालय का मूल स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत किया एवं कथन किया कि स्कॉलर रजिस्टर के सरल कमांक 510 पर अभियोक्त्री का कक्षा 9 में दिनांक 28.07.2020 को प्रवेश दर्ज है, जिसमें अभियोक्त्री की जन्म तिथि 08.05.2007 इंद्राज है। स्कॉलर रजिस्टर में की गई प्रविष्टि प्रदर्श पी0–01 है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी0–01सी है जिसके ए से ए भाग पर अभियोक्त्री का प्रवेश संबंधी इंद्राज है एवं बी से बी भाग पर विकम सिंह मीना प्रभारी प्राचार्य के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने उनके साथ दो वर्ष तक काम किया है, इसलिए वह

उनके हस्ताक्षरों से परिचित हैं। उन्होंने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि अभियोक्त्री के दाखिले के समय जन्म प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया था।

14. अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.–02) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसे अभियोक्त्री की जन्म तिथि नहीं पता। घटना एक वर्ष पूर्व (उसके कथन दिनांक 30.01.2026 से) से अधिक समय की है। घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष थी। अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उन्होंने इस संबंध में अज्ञानता व्यक्त की कि अभियोक्त्री की जन्म दिनांक 03.05.2007 है। उन्होंने यह भी कथन किया कि उन्होंने अभियोक्त्री का दाखिला स्कूल में कराया था। उन्होंने यह भी कथन किया कि वह ज्यादा पढ़े–लिखे नहीं हैं। उन्होंने आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि लेख कराई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घटना दिनांक 19.01.2022 की है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **मनोज कुमार यादव वि. स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश सीआरआर 1641/2023 निर्णय दिनांक 19.04.2023**–अवलोकनीय है, जिसमें माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि आधारकार्ड अधिनियम, 2015 के तहत धारा 94(2) के तहत प्रावधानित दस्तावेज नहीं है, अतः धारा 94(2) के तहत आयु निर्धारित करते समय उसे विचार में नहीं लिया जा सकता।

15. अभियोक्त्री की मां (अ.सा.–04) ने दिनांक 10.02.2026 को हुए मुख्य परीक्षण में अभियोक्त्री की जन्मतिथि के संबंध में अज्ञानता व्यक्त की एवं अभियोक्त्री की आयु 18–19 वर्ष होना बताया। अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उन्होंने स्वीकार किया कि अभियोक्त्री की आयु घटना के समय 15 वर्ष थी। उन्होंने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 04 में कथन किया कि

उन्हें अभियोक्त्री एवं अपनी किसी भी संतान की जानकारी नहीं पता। उन्होंने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री का दाखिला कराने वह स्कूल नहीं गई थी। उन्होंने अभियोक्त्री की आयु 15 वर्ष अंदाज से बताई है। इस प्रकार अभियोक्त्री के माता–पिता ने अभियोक्त्री की जन्म दिनांक नहीं बताई है। इस प्रकार बिना जन्म दिनांक ज्ञात हुए अभियोक्त्री की आयु बताना विश्वसनीय नहीं है। अभियोक्त्री के भाई (अ.सा.–07) ने अभियोक्त्री की जन्मतिथि के संबंध में अज्ञानता व्यक्त कर कथन किया कि अभियोक्त्री की आयु 13–14 वर्ष है। अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उन्होंने याद नहीं होना व्यक्त किया कि अभियोक्त्री की जन्म दिनांक 08.05.2007 है। इस प्रकार स्कॉलर रजिस्टर में अंकित जन्मतिथि साबित नहीं होती है।

16. अभियोक्त्री (अ.सा.–03) ने मुख्य परीक्षण के प्रश्न क्रमांक 02 के जवाब में कथन किया कि उसकी जन्म दिनांक 08 अप्रैल है। उसने जन्म वर्ष के संबंध में अज्ञानता व्यक्त की। अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने प्रश्न क्रमांक 09 के जवाब में अपनी जन्म दिनांक 08.05.2007 याद नहीं होना व्यक्त किया एवं प्रश्न क्रमांक 11 के जवाब में घटना के समय अपनी आयु 15 वर्ष होने के संबंध में अज्ञानता व्यक्त की। इस प्रकार अभियोक्त्री ने स्कॉलर रजिस्टर से भिन्न स्वयं की जन्म दिनांक एवं जन्म का महीना बताया है। इस प्रकार स्कॉलर रजिस्टर में अंकित जन्मतिथि साबित नहीं होती है।

17. अभियोक्त्री की जन्मतिथी के संबंध में दाखिले के समय प्रस्तुत घोषणा पत्र पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में THE MADHYA PRADESH DATE OF BIRTH (ENTRIES IN THE SCHOOL REGISTER) RULES, 1973 का रूल 3

अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रावधान है कि The parent or the guardian seeking admission for his ward for the first time into an approved or recognised school shall declare in writing in the form appended to these rules, the date of birth of the ward concerned and submit the same duly signed by him to the head of the institution. In case of illiterate persons, the declaration shall bear the thumb impression of the parent or the guardian attested by a responsible literate person other than a teacher of the school to which admission is sought. The date of birth of the ward in the declaration shall be given according to the date, month and year of the British Calendar. Where it is not possible for the parent or the guardian to submit the required declaration personally he may authorise a person in writing to do so on his behalf. एवं रूल 4 के अनुसार रूल 3 के तहत घोषणा में दी गयी जन्म दिनांक को स्कूल रजिस्टर में इन्द्राज किया जायेगा और संस्थान का प्रमुख हस्ताक्षर करेगा और रूल 4 के उपनियम 4 में यह प्रावधान है कि स्कूल रजिस्टर में जन्म दिनांक की प्रविष्टि को निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उनकी विजिट के दौरान चैक किया जायेगा। इस संबंध में म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर का न्यायदृष्टांत **रामचरण उर्फ दांदू तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य क्रिमिनल अपील क्रमांक–1780/2022 निर्णय दिनांक 18.07.2024,** अवलोकनीय है।

18. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **विरदमल सिंघवी विरूद्ध आनंद पुरोहित 1998 सप्लीमेंटी एससीसी 604** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया है कि The entries regarding dates of birth contained in the scholars register and the secondary

school examination have no probative value, if no person on whose information the date of birth of the candidate was mentioned in the school record is examined**.** The entry contained in the admission form or in the scholars register must be shown to be made on the basis of information given by the parents or a person having special knowledge about the date of birth of the person concerned. If the entry is made on the basis of the information given by a stranger or by someone else who had no special means of knowledge of the date of birth, such an entry will have no evidentiary value. The truth or otherwise of the facts in issue, namely, the date of birth of the candidate as mentioned in the documents must be proved by admissible evidence i.e by the evidence of those persons who can vouchsafe for the truth of the facts in issue. No evidence of any such kind was produced by the respondent to prove the truth of the facts, namely, the date of birth of the candidate.

19. इसके अतिरिक्त अन्य न्याय दृष्टांत **सुनील विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा (2010) 1 एससीसी 742** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किया है कि In a criminal case, the conviction of the appellant cannot be based on an approximate date which is not supported by any record. It would be quite unsafe to base conviction on an approximate date. PW 8, the father of the prosecutrix also could not give the correct date of birth of the prosecutrix.

20. इस संबंध में न्याय दृष्टांत **The State of Jammu & Kashmir (Now U.T. of Jammu & Kamshir) & Ors. V/S Shubam Sangra, 2022 SCC OnLine SC 1592, P. Yuva parakash Vs. State represented by**

Inspector of Police 2023 SCC OnLine SC 846, Manak Chand alias Mani Vs. State of Haryana 2023 SCC OnLine SC 1397 अवलोकनीय है।

21. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य मूल्यांकन एवं न्याय दृष्टांतों के आलोक में स्कॉलर रजिस्टर प्रदर्श पी–01सी में अंकित अभियोक्त्री की जन्म तिथि साबित नहीं होती है। अतः घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होना साबित नहीं होती है। इस प्रकार यह साबित नहीं होता कि अभियोक्त्री अधिनियम, 2012 की धारा 2(डी) की परिभाषा के अनुसार ''बालक'' के अंतर्गत आती है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक–02 लगायत 05 का निराकरण</u> :–

22. विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 के निराकरण के आधार पर अभियोक्त्री (अ.सा.–01) की आयु घटना दिनांक 19.01.2022 को 18 वर्ष से कम होना साबित नहीं हुई है। अधिनियम, 2012 के तहत अपराध बालक के प्रति होना आवश्यक है। अधिनियम, 2012 की धारा 2(डी) में बालक को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ''बालक'' से ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, अभिप्रेत है। अतः आरोपी के विरूद्ध धारा 7 सहपठित धारा 8 के तहत आरोप साबित नहीं होते।

23. अभियोक्त्री (अ.सा.–03) ने मुख्य परीक्षण के प्रश्न क्रमांक 01 के जवाब में कथन किया कि वह आरोपी सत्यनारायण को जानती है, आरोपी उसके घर के पास रहता है। उसने दिनांक 10.02.2026 को मुख्य परीक्षण के प्रश्न क्रमांक 05 के जवाब में कथन किया कि घटना तीन–चार वर्ष पूर्व की है। शाम को सात–आठ बजे के पूर्व वह मांगीलाल साहू की दुकान पर सामान लेने आई

थी। आरोपी आ रहा था, वह शायद शराब पिए हुए था और हट नहीं रहा था। यही हुआ था, फिर उसने घर जाकर भाई को बताया था। फिर भाई बाहर गया था, उसने अपने पिता और भाई के साथ गुनगा थाने में आकर रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने प्रश्न क्रमांक 12 के जवाब में इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि जब वह दुकान से वापस आ रही थी तो आरोपी ने बुरी नियत से उसे छुआ और उसकी छाती और कमर पकड़ ली। उसने पुलिस को प्रदर्श पी–04 का ए से ए भाग का कथन दिए जाने से इंकार किया। अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण के प्रश्न क्रमांक 04 के जवाब में स्वीकार किया कि आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उसने प्रश्न क्रमांक 01 के जवाब में इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया कि उसने घटना के संबंध में अपने पिता को बताया था। इस प्रकार अभियोक्त्री ने आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं।

24. अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.–02) ने दिनांक 30.01.2026 को मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना एक वर्ष पूर्व से अधिक समय की है। अभियोक्त्री घटना के दिन रात के 07:00 बजे मांगीलाल साहू की दुकान पर नमकीन लेने गई थी। अभियोक्त्री ने आवाज दी तो उनका लड़का पहुंच गया था और अभियोक्त्री को घर ले आया था। अभियोक्त्री ने उसे बताया कि आरोपी उसे रास्ते में रोक रहा था। अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने स्वीकार किया कि अभियोक्त्री ने बताया था कि आरोपी उसके पास आकर बुरी नियत से उसे छूने लगा और उसके कंधे, कमर व

सीने में हाथ रखा। अभियोक्त्री द्वारा आरोपी द्वारा उसे छूने और कमर और सीने पर हाथ लगाने के संबंध में न्यायालय में कथन नहीं किया है और प्रतिपरीक्षण में घटना के बारे में पिता को बताने से इंकार किया है। अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.–02) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 03 में कथन किया है कि घटना के समय वह दूसरे घर पर थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने घटना नहीं देखी। इस प्रकार अभियोक्त्री के पिता अनुश्रुत श्रेणी के साक्षी हैं। अभियोक्त्री के पिता द्वारा सूचक प्रश्न में स्वीकारात्मक सुझाव के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन कमजोर प्रकृति की साक्ष्य है। अतः अभियोक्त्री के पिता के कथन से निष्कर्ष नहीं निकलता है।

25. अभियोक्त्री की मां (अ.सा.–04) ने दिनांक 10.02.2026 को मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना लगभग तीन–चार वर्ष पूर्व की है। अभियोक्त्री दुकान पर सामान लेने जा रही थी, वह घर के अंदर खाना बना रही थी। अभियोक्त्री के साथ कुछ नहीं हुआ था। अभियोक्त्री और आरोपी के बच्चे आपस में लड़ रहे थे। आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ कुछ नहीं किया था। अभियोक्त्री ने उन्हें आरोपी के बारे में कुछ नहीं बताया था। अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उन्होंने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि अभियोक्त्री ने बताया था कि आरोपी ने उसे बुरी नियत से उसे छुआ था और कंधे, कमर और सीने पर हाथ रखा था। उन्होंने इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया कि उन्होंने आरोपी के विरूद्ध छेडछाड़ की रिपोर्ट की थी। उन्होंने पुलिस को प्रदर्श पी–06 का ए से ए भाग का कथन दिए जाने से इंकार कर दिया। इस प्रकार उक्त साक्षी ने आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कथन नहीं किया है। अभियोक्त्री के पिता और अभियोक्त्री

की मां के कथन विरोधाभाषी हैं।

26. अभियोक्त्री के भाई (अ.सा.–07) ने मुख्य परीक्षण में घटना दिनांक एवं वर्ष के संबंध में अज्ञानता व्यक्त की एवं कथन किया कि अभियोक्त्री मांगीलाल साहू की दुकान पर सब्जी लेने गई थी। उसने घटना के संबंध में अज्ञानता व्यक्त की। अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर घटना दिनांक 19.01.2022 घटना के समय रात्रि 08:30 बजे होने के संबंध में याद नहीं होना व्यक्त किया और इन सुझावों को अस्वीकार कर दिया कि अभियोक्त्री ने उसे बताया था कि आरोपी उसके पास जाकर उसे बुरी नियत से छूने लगा और उसके कंधे, कमर एवं सीने पर हाथ रखा। उसने इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया कि वह अपनी मां को लेकर आरोपी को डांटने गया तो आरोपी सत्यनारायण ने उसे थप्पड़ मारा। उसने पुलिस को प्रदर्श पी–12 का ए से ए भाग का कथन दिए जाने से इंकार किया। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

27. अभियोक्त्री, अभियोक्त्री के माता–पिता एवं अभियोक्त्री के भाई ने अभियोक्त्री के भाई को थप्पड़ मारने के संबंध में कथन नहीं किया है।

28. अभियोक्त्री (अ.सा.–03) ने मुख्य परीक्षण के प्रश्न क्रमांक 08 के जवाब में धारा 164 के कथन दिए जाने के संबंध में याद नहीं होना व्यक्त किया। उसने न्यायालय में प्रदर्श पी–04 का बी से बी भाग का कथन दिए जाने से इंकार किया। धारा 164 संहिता, 1860 के संबंध में न्यायदृष्टांत–**R. Shaji Vs. State of Kerala 2013 14 SCC 266** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि–

28. Section 157 of the Evidence Act makes it clear that a

statement recorded unde Section 164 CrPC can be relied upon for the purpose of corroborating statement made by witnesses in the committal court or even to contradict the same. As the defence had no opportunity to cross-examine the witnesses whose statement are recorded under Section 164 CrPC, such statment cannot be treated as substantive evidence.

29. धारा 164 संहिता, 1860 का कथन सारवान् साक्ष्य नहीं है। अभियोक्त्री ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कथन नहीं किए है, अतः उक्त कथन से निष्कर्ष नहीं निकलता है।

30. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य मूल्यांकन से आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होता है।

31. उपरोक्त साक्ष्य मूल्यांकन से यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने दिनांक 19.01.2022 को रात्रि करीब 08:00 बजे से 08:30 बजे अभियोक्त्री के गांव आरक्षी केन्द्र गुनगा मांगीलाल साहू की दुकान के पास आरक्षी केन्द्र बैरसिया जिला भोपाल में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से अभियोक्त्री को छूकर, छाती एवं कमर पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग कारित किया, अभियोक्त्री के शारीरिक संपर्क एवं अग्रक्रियाएं कर, जिसमें आवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतवर्लित है, लैंगिक उत्पीड़न कारित किया, 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री के साथ लैंगिक आशय से प्रवेशन के बिना अभियोक्त्री को छूकर एवं उसकी छाती एवं कमर पकड़कर लैंगिक हमला कारित किया, अभियोक्त्री के भाई की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने

32. उपरोक्त साक्ष्य मूल्यांकन के आलोक में अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त

संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को निम्नानुसार दोषमुक्त किया जाता है : –

अभियुक्त का नाम	**दोषमुक्त**
सत्यनारायण मेहर	1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–354, 354क, 323 2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की 7 सहपठित धारा 8

33. आरोपी जमानत पर हैं, आरोपी की जमानत उन्मुक्त की जाती है एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं।

34. आरोपी निम्नानुसार न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, अतः धारा 428 संहिता, 1973 के तहत ज्ञापन तैयार किया जावे।

आरोपी का नाम	निरोध की अवधि	दिवस
सत्यनारायण मेहर	दिनांक–26.08.2022 से दिनांक–24.09.2022 तक	कुल 29 दिवस

दिनांक 14/03/2026
स्थान– बैरसिया जिला भोपाल
निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

(सुश्री श्वेता गोयल)
अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैरसिया, जिला भोपाल (म0प्र0)
श्रीमती आरती शर्मा

(सुश्री श्वेता गोयल)
अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैरसिया, जिला भोपाल (म0प्र0)

SWETA GOYAL

Digitally signed by SWETA GOYAL
Date: 2026.03.14 16:49:27 -0400